2009 का विधयेक सं. 3

बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** (1) इस अधिनियम का नाम बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2009 है।
 - (2) यह 2 अक्टूबर, 2008 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- 2. **बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन.** (1) बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ''महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर'' होगा।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबंध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में बीकानेर विश्वविद्यालय के प्रति किये गये किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उसके यथापरिवर्तित नाम से उस विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।
- (3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।
- 3. संशोधन.— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से संशोधित हो जायेगा।
- (2) उप—धारा (1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

- 4. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.— मूल अधिनियम को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 के रूप में प्रोद्धृत किया जायेगा।
- **5. निरसन और व्यावृत्तियां**.— (1) बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 11) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

- धारा 1.— उप—धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''बीकानेर विश्वविद्यालय, अधिनियम'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम'' प्रतिस्थापित की जायेगी।
- धारा 2.— खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—
 - ''(ठ) ''विश्वविद्यालय'' से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अभिप्रेत है।''।
- धारा 3.— उप—धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''बीकानेर विश्वविद्यालय'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में तीव्र विकास के साथ—साथ कदम मिलाने की दृष्टि से और सभी संभागीय मुख्यालयों पर उच्चतर शिक्षा उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष, 2003 के बीकानेर संभागीय मुख्यालय पर ''बीकानेर विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी।

विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही बीकानेर के नागरिकों और अन्य प्रख्यात संगठनों द्वारा विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करके महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर करने की मांग थी।

अतः बीकानेर के नागरिकों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों की बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित करने की दीर्घकाल से लंबित मांग को पूरा करने के लिए और महाराजा गंगा सिंह की स्मृति को अमर बनाने के लिए राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल ने बीकानेर में 13 अगस्त, 2008 को हुई बैठक में बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का निश्चय किया था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने दिनांक 2 अक्टूबर, 2008 को बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 11) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री

बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX		XX	XX	XX	XX
	1. संक्षिप्त	नाम, प्रसार ३	और प्रारम्भ .—(1) इस अधिनियम	न का नाम
बीकानेर	विश्वविद्याल	ाय अधिनियम	, 2003 है।	-	
	(2) से (3)	XX	XX	XX	XX
	2. परिभाषा	एं .— इस आ	धिनियम में, जब	तक कि विषय	या संदर्भ
से अन्य	था अपेक्षित	न हो,–			
	(क) से (ट)	XX	XX	XX	XX
	(ठ) ''विश्वी	वेद्यालय'' से	बीकानेर विश्ववि	द्यालय अभिप्रेत ह	} ;
	(ভ) xx	XX	XX	XX	
	3. विश्वविद्	प्रालय का नि	गमन. — (1) कृ	लाधिपति, प्रथम	कुलपति,
विश्वविद	यालय के प्र	बंध बोर्ड और	विद्या परिषद्	के प्रथम सदस्य	और ऐसे
सभी व्य	क्ति, जो इर	प्तके पश्चात् प	रेसे अधिकारी य	ा सदस्य हो जा	ते हैं, जब
तक वे	े ऐसा पव	या सदस	यता धारण वि	म्ये रहते हैं ,	''बीकानेर
विश्वविद	ग्रालय'' के	नाम से एक	निगमित निक	ाय का गठन व	करेंगे और
उसका	शाश्वत उत्त	ाराधिकार औ	र एक सामान्य	मुद्रा होगी और	उस नाम
से वह	वाद ला सके	गा और उस	पर वाद लाया	जा सकेगा ।	
	(2) से (3)	xx	XX	XX	XX
XX		XX	XX	XX	XX

राजस्थान विधान सभा

बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी, **सचिव।**

(शान्ति धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 3 of 2009

THE UNIVERSITY OF BIKANER (CHANGE OF NAME) BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

(Authorised English Translation)

Bill No. 3 of 2009

THE UNIVERSITY OF BIKANER (CHANGE OF NAME) BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

 \boldsymbol{A}

Bill

to change the name of the University of Bikaner and to make certain amendments in the University of Bikaner Act, 2003.

Now, therefore, be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows:—

- **1. Short title and commencement.** (1) This Act may be called the University of Bikaner (Change of Name) Act, 2009.
- (2) It shall be deemed to have come into force on and from 2^{nd} October, 2008.
- **2.** Change of name of the University of Bikaner.— (1) The name of the University of Bikaner incorporated under the University of Bikaner Act, 2003 (Act No. 13 of 2003), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be "The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner".
- (2) Any reference to the University of Bikaner in any law for the time being in force or in any indenture, instrument, or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.
- (3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.
- **3. Amendment.** (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the schedule.

- (2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.
- **4.** Citation of the principal Act.— The principal Act may be cited as the Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act, 2003.
- **5. Repeal and savings.** (1) The University of Bikaner (Change of Name) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 11 of 2008) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amendment by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

THE SCHEDULE

(See section 3)

- **Section 1.** In sub-section (1), for the existing expression "The University of Bikaner Act", the expression "The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act" shall be substituted.
- **Section 2.** For clause (l), the following clause shall be substituted, namely:–
 - "(1) "University" means The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner".
- **Section 3.** In sub-section (1), for the existing expression "The University of Bikaner", the expression "The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner" shall be substituted.

.....

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to keep pace with the rapid development of the State and to provide higher education on all divisional headquarters, a University was established at the Bikaner divisional headquarter by the State Government in the year of 2003 with the name of "University of Bikaner".

A demand to change the name of this University to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner was made by the citizens of Bikaner and other reputed organisations since the establishment of this University.

Therefore to meet out the long pending demand of the citizens of Bikaner, educationists and Social Organisations for replacing the name of the University of Bikaner to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner and to keep the memory of Maharaja Ganga Singh immortal, the Cabinet of Rajasthan Government in its meeting held on 13th August, 2008 at Bikaner, decided to change the name of the University of Bikaner to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the University of Bikaner (Change of Name) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 11 of 2008), on 2nd October, 2008, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 3rd October, 2008.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance. Hence the Bill.

> शांति धारीवाल, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE UNIVERSITY OF BIKANER ACT, 2003

(Act No. 13 of 2003)

 $\mathbf{X}\mathbf{X}$

 $\mathbf{X}\mathbf{X}$

 $\mathbf{X}\mathbf{X}$

 $\mathbf{X}\mathbf{X}$

1. 3	short t	itle, extent	and comme	ncement.—(1) This Act	
may be call	led the	University of	f Bikaner Act	t, 2003.		
(2) to	(3) X	XX	XX	XX		
2. 1	Definit	ionsIn this	Act, unless	the subject	or context	
requires oth	nerwise	÷,—				
	(a) to	(k) XX	XX	XX		
	(l) "University" means the University of Bikaner;					
	(m)	XX	XX	XX		

3. Incorporation of the University.—(1) The Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first members of the Board of Management and the Academic Council of the University and All persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership shall constitute a body corporate by the name of "the University of Bikaner" and shall have perpetual succession and a common seal and may by that name sue and be sued.

	(2) to (3)	XX	XX	XX	
XX		XX		XX	XX

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

 \boldsymbol{A} Billto change the name of the University of Bikaner and to make certain amendments in the University of Bikaner Act, 2003. (To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) H.R. KURI, Secretary.

(SHANTI DHARIWAL, Minister - Incharge)